

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक २ बीएसएफ इंदौर PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO 2 B.S.F. INDORE



स्थापना : 1986
पता: गांधीनगर रोड
विजासन टेकरी, इंदौर ४५२००५
जिला: इंदौर
दूरभाष : ०७३१-२६२०४४७

Est: 1986
Address: Gandhi Nagar Road
Bijasan Tekri, Indore 452005
District: Indore
Tel: 0731-2620447



Website: www.no2indore.kvs.ac.in, Email: kv2indore@yahoo.co.in, ppl.indoreno2bsf@kvs.gov.in
CBSE SCHOOL NO: 54093 UDISE NO : 23260517617 CBSE AFFILIATION NO : 1000032

एफ. 5-3 / 2024-2025 / पीएमश्रीकेवि-2इन्दौर / 516

दिनांक 16-1-2025

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल पत्रांक सं. फा. 27-1/2024/आईसीसी/केविस/भोपाल/13270-337 दिनांक 14-01-2025 एवं कार्यालय आदेश सं. फा. 27-1/2024/आई.सी.सी./केविस/भोपाल/6942-49 दिनांक 16-08-2024 के आलोक में दिनांक 09-12-2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013" की धारा 4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, इन्दौर के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित इस विद्यालय के पूर्व में गठित समिति में संशोधन करते हुए "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जा रहा है जो निम्नानुसार है:-

क्रमांक	समिति में धारित पद	सदस्य का नाम एवं पदनाम पते सहित	क्षेत्राधिकार
1	Presiding Officer	Smt. Keerti Joshi, PGT CHEM, KV.No.2, Indore	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at teaching staff upto the level of PGTs (except HMs) & non-teaching upto the level of ASO.
2	Female Member	Smt. RAJNI PARMAR, PGT(ACC.), PM Shri K.V.No.2, Indore Smt. REKHA MEDHA, PRT, K.V.No.2, Indore	
3	Male Member	Sh. R C BAMANIA, PGT(HINDI), PM Shri K.V.No.2, Indore Sh. C S RATHORE, HM, K.V.No.2, Indore	
4	NGO Member	Dr. Lalita Sharma, Director, Abhaunj Welfare Society, Vijay Nagar, Indore-452010	

टिप्पणी:-

- 1 पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- 2 सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जायेगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।
- 3 कार्यस्थल पर महिलाओं का "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013"/Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" की धारा 4(2) के प्रभारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायें।

वितरण:-

- 1 संबंधित सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ हेतु।
- 3 नोटिस बोर्ड हेतु।
- 4 विद्यालय की वेबसाइट हेतु।

(Signature)
प्राचार्य

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय क्र. 2, बीएसएफ
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 BSF
इन्दौर / INDORE